उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
कारपोरेट लेखा इकाई
7वॉ तल,शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
UP RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
CORPORATE ACCOUNT UNIT
(A UP GOVERNMENT UNDERTAKING)
7TH FLOOR SHAKTI BHAWAN EXTENSION, LUCKNOW.

पत्रांक 223 /उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त)/ओ0 एण्ड एम0 दिनांक 01.06.2017

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या 318/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) दिनांक 03.08.2010 द्वारा आदेशित अनुरक्षण एवं परिचालन मद में भुगतान की नवीन प्रणाली के अन्तर्गत परियोजना प्रमुख द्वारा प्राथमिकता अतिक्रमित कर भुगतान किये जाने के प्राधिकार संबंधी आदेश संख्या 169/उ0नि0लि0 /मु0म0प्र0(वित्त)/ओ0 एण्ड एम0 दिनांक 11.06.2015 द्वारा प्राथमिकता अतिक्रमित कर भुगतान किये जाने के आदेश अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा तक किये जाने हेतु किये गये थे जो कि दिनांक 30.11.2015 तक प्रभावी थे। पुनः कार्यालय ज्ञाप संख्या 337/उ0नि0लि0 /मु0म0प्र0(वित्त)/ओ0 एण्ड एम0 दिनांक 16.10.2015 के द्वारा प्राथमिकता अतिक्रमण की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत के आदेश कर दिये गये थे।

उक्त के सम्बन्ध में पुर्नविचार करने के उपरान्त निम्नवत आदेश किये जाते हैं :–

1– परियोजना प्रमुख द्वारा प्राथमिकता अतिक्रमण कर भुगतान किये जाने की अधिकतम सीमा परियोजना को संबंधित माह में अनुरक्षण एवं परिचालन मद में प्राप्त हुई धनराशि की 10 प्रतिशत होगी।

2– प्राथमिकता अतिक्रमण का उपयोग केवल लुब्रीकैंट, रसायन एवं अति–आवश्यक कार्य/सामग्री जिसका भुगतान परियोजना हित में अति–आवश्यक होगा, के लिए ही किया जायेगा। शेष 90 प्रतिशत अनुरक्षण एवं परिचालन मद की धनराशि का उपयोग प्राथमिकता पंजिका के प्राथमिकता के क्रम में ही किया जायेगा।

10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत प्राथमिकता अतिक्रमण कर किये गये भुगतानों की सूचना पूर्व में निर्धारित प्रारूप में संकलित कर माह में एक बार मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या 223 /उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त)/ओ0 एण्ड एम0 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव (विशेष श्रेणी), उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2– निदेशक (तक0)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (कार्मिक)/निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4– मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), पी0पी0एम0एम0/आर0 एण्ड एम0/जानपद/जा0 नव–परियोजना/पर्यावरण एवं सुरक्षा/मा0सं0/ कारपोरेट स्ट्रेटजी/तापीय परिचालन/ईधन/वाणिज्य, उ0नि0लि0, लखनऊ।
5– मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), अनपरा 'अ'/'ब' एवं 'द'/ओबरा 'अ' एवं 'ब'/पारीछा (2X110MW)/ पारीछा (2X210MW)/पारीछा (2X250MW)/हरदुआगंज/हरदुआगंज (2X250MW)/पनकी तापीय परियोजना उ0नि0लि0, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
6– महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7– उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा 'अ'/'ब' एवं 'द'/ओबरा 'अ' एवं 'ब'/पारीछा(2X110MW)/पारीछा(2X210MW)/पारीछा(2X250MW)/हरदुआगंज/हरदुआगंज (2X250MW)/पनकी तापीय परियोजना, उ0नि0लि0, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
8– मुख्य परियोजना प्रबन्धक "प्रगति", उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को यह आदेश वेब–साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/6/17

(एम0सी0 पाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)